TPADL

TP AJMER DISTRIBUTION LIMITED

CEO Cell/TPADL/2019-20/18 Date : 02-11-2019

आदेश

"Grievances Redressal cum Settlement Forum"

TCOS-2004 की धारा 49 एवं 50 व डीएफ एग्रीमेन्ट के क्लॉज नं. 5.7.5 (बी) की अनुपालना में दिनांक 01.07.2017 के बाद विद्युत बिल एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु टीपीएडीएल द्वारा (विद्युत अधिनियम की धारा 126 व 135 के रहित) प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गए है।

टीपीएडीएल द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों एव बकाया वसूली के विवाद (विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं 135 के रहित) एवं अन्य किसी भी प्रकार के जारी डिमाण्ड से संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु सर्किल/कॉर्पोरेट स्तर पर गठन किया गया जिसकी वित्तीय सीमा एवं सदस्य निम्नानुसार होगें।

(अ) वृत्त स्तरीय *"Grievances Redressal cum Settlement Forum"* वित्तीय सीमा 3 लाख रूपये के मामलों तक

- 10,000 रूपये केस तक 50/– रू. फीस
- 25,000 रूपये केस तक 100/– रू. फीस
- 3,00,000 रूपये केस तक के 250/– रू. फीस

समिति के सदस्य :–

क्र.स.	पद	पद
1.	चीफ कॉमर्शियल, टीपीएडीएल, अजमेर	अध्यक्ष
2.	हेड कनेक्शन एण्ड बिलिंग, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य सचिव
3.	ग्रुप हेड रेवेन्यू, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
4.	लीड एसोसिएट रेवेन्यू, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
5.	संबंधित जोनल मैनेजर	सदस्य
6.	एडवाईजर	स्वतंत्र सदस्य

(ब) कॉर्पोरेट स्तर *"Grievances Redressal cum Settlement Forum"* वित्तीय सीमा 3 लाख रूपये से अधिक के मामलों तक शुल्क 1000/– रूपये

समिति के सदस्य :–

क्र.स.	अधिकारी	पद
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टीपीएडीएल, अजमेर	अध्यक्ष
2.	चीफ फाइनेन्स ऑफिसर, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य सचिव
3.	चीफ ऑपरेशन्स, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
4.	हेड कॉपोरेर्ट अफेयर्स, टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
5.	एडवाईजर कॉमर्शियल टीपीएडीएल, अजमेर	सदस्य
6.	संबंधित जोनल मैनेजर	सदस्य
7.	एडवाईजर	स्वतंत्र सदस्य

अगर कोई वृत्त स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो कॉर्पोरेट स्तरीय फोरम में आवश्यक शुल्क 750/– रूपये जमा करवाकर अपील दायर कर सकता है।

सम्पर्क हेतु सूचना :–

जनसम्पर्क अधिकारी का विवरण :
हाथीभाटा पावर हाऊस,
होटल एम्बेसी के सामने,
अजमेर, राजस्थान – 305001

श्री विकास फौजदार,
मोबाईल नं. 9699083975

श्री बिकास सांबल,
मोबाईल नं. 9223503863

1. आवश्यकतानुसार विंग/अन्य विंग के अधिकारी समिति में आमंत्रित सदस्य होगें।
2. *"Grievances Redressal cum Settlement Forum"* उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण विवाद का निपटारा करेगी।
3. केन्द्रीय/राज्य सरकार के मामलों में कोई फीस देय नहीं होगी जिन मामलों में पारस्परिक सहमति के आधार पर समझौता हो जाता है उनको लेखबद्ध किया जायेगा एवं इसकी प्रति उपभोक्ता को दी जायेगी जिन मामलों के पारस्परिक सहमति नहीं बन पाती है उन मामलों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया जावेगा।
4. सिविल कोर्ट एवं उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम द्वारा बनाई फोरम/कमीशन द्वारा भेजे गए केसों का निपटारा *"Grievances Redressal cum Settlement Forum"* द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया जायेगा। अगर लीगल नोटिस उपभेक्ता के वकील द्वारा भेजा गया है तो प्रार्थी द्वारा फीस की निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. उपरोक्त समिति विद्युत बिल, बकाया राशि की वसूली टीपीएडीएल द्वारा मांग राशि का भुगतान इत्यादि के संबंध में प्राप्त विवादों के समाधान के लिये अधिकृत होगें।
6. कमेटी को यह अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु यदि आवश्यक समझे तो अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवाई जा सकेगी एवं उपलब्ध सामग्री/विवेचना से निर्णय ले सकेगी। कमेटी के लिये यह भी वांछनीय होगा कि यह प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दें।
7. सदस्य सचिव कमेटी का सम्पूर्ण कार्य सुचारू रूप से संचालन, दस्तावेज रखरखाव, रिपोर्टिंग, उपभोक्ता संवाद सुनिश्चित करेगें।
8. कमेटी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन में उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करेगी।
9. विद्युत बिल, बकाया राशि की वसूली, टीपीएडीएल द्वारा मांग राशि का भुगतान इत्यादि अग्रिम कार्यवाही कमेटी के निर्णयानुसार की जायेगी।
10. बैठक के लिए समिति के अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
11. प्रत्येक उपभोक्ता को निर्धारित रजिस्ट्रेशन नंबर देना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

(गजानन काले)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
टीपीएडीएल, अजमेर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियन्ता (H.Q./A/Z) अविविनिलि., अजमेर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट), अविविनिलि., अजमेर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (अ.श.वृ.), अविविनिलि., अजमेर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अविविनिलि., अजमेर।
5. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि., अजमेर।
6. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक, निदेशक (तकनीकी), अविविनिलि, अजमेर।
7. श्रीमान् निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि., अजमेर।
8. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (लीगल), अविविनिलि., अजमेर।
9. नोटिस बोर्ड।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
टीपीएडीएल, अजमेर